



इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान

(राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान)

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : 0141- 2706577-78 फ़ैक्स : 2706571

Web: www.igprgvs.rajasthan.gov.in , Mail: igprgvs@rajasthan.gov.



क्रमांक:एफ4()भण्डार/आईजीपीआरएस/2019/ 950-952

दिनांक : 25/08/20

सीमित निविदा सूचना

संस्थान में चाय एवं अन्य सामान की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित फर्मों से सीमित निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि रुपये लाखों में)	निविदा अपलोड करने की तिथि	निविदा जमा करने की तिथि
1.	चाय एवं अन्य सामान	1.50 लाख	25-08-2020	28-08-2020

निविदा प्रपत्र विभाग की वेबसाइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से डाउनलोड किया जा सकता है।

उक्त कार्य हेतु निविदा मोहरबंद लिफाफे में जिन पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम अंकित किया गया हो, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण संस्थान में निर्धारित तिथि को दोपहर 01.00 बजे तक जमा की जाएगी। प्राप्त निविदाओं को उसी दिवस को अपराह्न 04.00 बजे विभागीय उपापन समिति द्वारा निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि जो उपस्थित हो के समक्ष खोली जायेगी।

बोली प्रपत्र एवं शर्तों का प्रपत्र संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :-


1. प्रोग्रामर उक्त सूचना को संस्थान की वेबसाइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal अपलोड करवाये।
2. सूचना बोर्ड संस्थान।

अतिरिक्त निदेशक

अतिरिक्त निदेशक

संस्थान में चाय एवं अन्य सामान की निविदा प्रस्तुत करने की शर्तें

- निविदा निर्धारित प्रपत्र में जो कि संस्थान द्वारा जारी किया गया है, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। निविदा प्रपत्र विभाग की वेबसाइट www.igprgvs.rajasthan.gov.in एवं State Public Procurement Portal से डाउनलोड किया जा सकता है।
- निविदा उचित प्रकार से मुहरबंद लिफाफे में बंद की जा कर नियत तिथि एवं समय तक संस्थान में जमा करवायी जाना आवश्यक है। निश्चित समय सीमा के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
- निविदा प्रपत्र पर निविदादाता को हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा।
- प्राप्त निविदाओं को दिनांक 27-08-2020 को अपराह्न 04.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विभाग की उपापन समिति द्वारा खोला जायेगा।
- निविदादाता द्वारा फर्म की निम्न सूचना सलग्न की जानी आवश्यक है :-
 - a. फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।
 - b. फर्म अथवा फर्म के प्रोपराईटर का पैन कार्ड की छाया प्रति।
 - c. निविदा प्रपत्र में फर्म का स्पष्ट एवं पूर्ण पता दूरभाष सहित अंकित किया जाना आवश्यक है।
- फर्म द्वारा सामान की आपूर्ति संस्थान द्वारा दिये गए आदेश के दो दिवसों में की जानी आवश्यक है।
- फर्म द्वारा आपूर्ति किया गया सामान उच्च गुणवत्ता का होना आवश्यक है जिसकी जाँच संस्थान द्वारा करवायी जाएगी यदि फर्म द्वारा आपूर्ति किया गया सामान निम्न गुणवत्ता का पाया जाता है तो संस्थान को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- यह कार्य एक वर्ष के लिए होगा कार्य के संतोषजनक न पाये जाने अथवा अपरिहार्य कारणों से अनुबंध को वर्ष के मध्य में निरस्त किया जा सकता है इसके लिए संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा।
- निविदा कार्य मिलने वाली फर्म उक्त कार्य को किसी भी फर्म / व्यक्ति अथवा अन्य किसी को भी बेचान या हस्तान्तरित नहीं कर सकती।
- किसी भी निविदा को मानने अथवा बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार संस्थान को होगा।
- फर्म को संस्थान में सामान की आपूर्ति करने हेतु पृथक से कोई भी शुल्क यथा माल-भाड़ा दुलाई इत्यादि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- समस्त विवादों का क्षेत्र जयपुर होगा।
- कार्यादेश दिए जाने की दिनांक से 07 दिवस के भीतर सफल फर्म द्वारा संस्थान से रुपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जाना आवश्यक होगा जिसका समस्त व्यय फर्म द्वारा वहनीय होगा।


अतिरिक्त निदेशक

उपरोक्त निविदा की शर्तें मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ ली हैं एवं मैं उक्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ मैंने प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर व मोहर मय

इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ 4()
 भण्डार/आईजीपीआरएस/2020/..... दिनांक :-.....के लिए चाय व अन्य सामान हेतु
दरें प्रस्तुत करने का प्रारूप

क्र.सं.	सामान का विवरण	प्रति किलो प्रति पकेट ग्राम सहित	दर (रु.) जी एस टी एवं अमस्त करों सहित
1	एवरेडी मिल्क दूध	400 ग्राम एक किलो	
2	शूगर क्यूब (100 नम)	प्रति पैकेट	
3	ताज महल चाय	एक किलो आधा किलो	
4	कोफी (नेसकैफे कॉफी)	50 ग्राम	
5	क्रोफी (नेसकैफे कॉफी)	100 ग्राम	
6	लेमन टी बैग	प्रति पैकेट	
7	बिस्किट नमकीन (मोनाको)	प्रति पैकेट	
8	बिस्किट मीठे (ब्रिटेनिया), गुड डे, क्रीम बिस्कुट	प्रति पैकेट प्रति पैकेट	
9	नमकीन भुजिया (बीकानेरी)	एक किलो 400 ग्राम	
10	ग्रीन टी लेमन एण्ड हनी बैग टी	प्रति पैकेट	
11	ग्रीन टी बैग टर्कींग	प्रति पैकेट	
12	तुलसी जिनजर टी	प्रति पैकेट	
13	चीनी प्रति किलो	एक किलो	
14	तुलसी ग्रीन टी	प्रति पैकेट	
15	ताजमहल टी बैग	प्रति पैकेट	
16	शहद डार हनी	एक किलो	
17	मिरिन्डा, पेप्सी, कोकाकोला	दो लीटर	
18	सुगर फ्री	प्रति पैकेट 50 टेबलेट	
19	लौंग	एक किलो	
20	इलायची	एक किलो	
21	काली मिर्च	एक किलो	
22	सैंधा नमक	एक किलो	

SV


23.	ताजमहल बुक बॉण्ड टी बैग	प्रति पैकेट		
24.	ग्रीन टी बैग	प्रति पैकेट		
25.	न्यूट्री चोईस बिस्कुट मीठे	प्रति पैकेट		
26.	न्यूट्री चोईस नमकीन बिस्कुट	प्रति पैकेट		
27.	टेटली ग्रीन टी	प्रति पैकेट		
28.	ग्रीन टी एण्ड लेमन ट्वीनिंगस	प्रति पैकेट		
29.	कुकीज एण्ड मोर बिस्कुट (मीठे)	प्रति पैकेट		
30.	कुकीज एण्ड मोर बिस्कुट (नमकीन)	प्रति पैकेट		
31.	टेटली ग्रीन टी विथ लेमन एण्ड हनी	प्रति पैकेट		
32.	टेटली लेमन	प्रति पैकेट		
33.	डबल डयमण्ड ताजमहल चाय	प्रति किलो		
34.	तुलसी ग्रीन टी लेमन जॉगर	प्रति पैकेट		
35.	डेवीडोफ कॅफ़े	प्रति पैकेट		
36.	तुलसी ग्रीन टी	प्रति पैकेट		
37.	गिरनार (Detox Green Tea Desi Kahwa)	प्रति पैकेट		
38.	सॉउ	प्रति किलो		
39.	नेशले दूध डीप	प्रति किलो		
40.	ब्लेक टी (ताजमहल/टेटली/लिफ्टस, अर्गनिक इण्डिया ग्रीन गया/गिरनार/ट्वीग	प्रति पैकेट		
41.	मोमर	प्रति किलो		
42.	कजी बिस्कुट	प्रति किलो		
43.	ऑडोनिल ब्लाक फॉर टॉयलेट वंडर फ्रेश फॉर टॉयलेट	प्रति पैकेट प्रति पैकेट		
44.	हीट (काली) टीट (लाल)	प्रति नग प्रति नग		
45.	बॉथ शॉप साबून	प्रति नग		
46.	हारपिक	प्रति नग		
47.	एयर पॉकेट (गोदरेज)	प्रति नग		
48.	सर्फ	प्रति किलो		
49.	लक्स साबून	प्रति नग		
50.	लिक्विड हेण्डवास (डिटोल/लाईफ़वॉय/संतूर)	प्रति नग		

82

51.	कोलीन	प्रति नग	
52.	सेनेटाइजर	प्रति	
53.	यूरिनल क्यूब थडी (कलर) यूरिनल क्यूब (छोटी)	प्रति पैकेट प्रति पैकेट	
54.	कपूर गोली	प्रति किलो	
55.	लक्ष्मण रेखा	प्रति पैकेट	
56.	टिसू पेंपर (100 पीस)	प्रति पैकेट	
57.	आल आउट रिफिल व मशीन	प्रति नग	
58.	रूम स्प्रे - लौमन	प्रति नग	
59.	फिनाइल	प्रति किलो	
60.	नेथलीन बाल (बड़ी) नेथलीन (छोटी)	प्रति पैकेट प्रति पैकेट	
61.	काला नमकीन (चोला भोगर, चना जोरगरन, बेसन की मोटी नमकीन आदि)	प्रति किलो	
62.	उक्त सामान के अतिरिक्त अन्य कोई सामान की यदि संस्थान को आवश्यकता हो एवं उसकी सफाई करने हेतु फार्म को आदेशित किया जाता है तो उक्त सामान को फर्म एम आर पी/प्रचलित बाजार दर से कितने प्रतिशत डिस्काउण्ट पर संस्थान को उपलब्ध करवाने की सहमत होनी का उल्लेख करे।		

नोट:-

1. अनुमोदित दरों पर अनुमोदित सामान एक दिवस में शर्तों के अनुरूप सफाई की जानी होगी।
2. सामान उत्कृष्ट क्वालिटी एवं ब्राण्डेड कंपनी का होना चाहिए। (जिन सामानों के आदेशों में कंपनी का उल्लेख नहीं किया गया हो)।
3. संस्थान द्वारा अनुमोदित सामान को आदेशित करने के उपरांत भी फर्म द्वारा सामान की सफाई संस्थान को नहीं की जाती है तो संस्थान द्वारा वो सामान बाजार से खरी लिया जाएगा एवं इस पर आने वाला अतिरिक्त व्यय/भार अनुमोदित फर्म से वसूला जायेगा।
4. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में महाजिदेशक, इन्दिरा गाँधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निर्णय ही अन्तिम होगा।
5. निविदा की अवधि 1 वर्ष तक की होगी।
6. समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर स्थित न्यायालय होगा।
7. अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर निविदादाता द्वारा लगा करवाई गई कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि संस्थान द्वारा जब्त की जा सकेगी।


अतिरिक्त निदेशक